

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 15-07-2025

विषय सूची

- » बॉम्बे हाई कोर्ट ने वैवाहिक कानूनों के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की
- » भारत में दहेज हत्याएँ: विस्तृत जाँच, दुर्लभ दोषसिद्धि
- » राज्यपालों की नियुक्ति
- » कॉर्पोरेट निवेश में गिरावट
- » वैज्ञानिकों द्वारा फेरोमोन की खोज, जो टिंड्रियों के झुंड का कारण

संक्षिप्त समाचार

- » मछलीपट्टनम: एक प्राचीन बंदरगाह का पुनरुद्धार
- » बेहदेनखलम महोसूव
- » प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र
- » कार्यालयों में चीनी और वसा संबंधी बोर्ड लगाने का सरकारी आदेश
- » राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण(NPPA)
- » ऑस्ट्रेलिया ने 2025 मैत्री अनुदान की घोषणा की
- » मंडोवी नदी में रोल ऑन-रोल ऑफ (रोरो) फेरी बोट्स
- » भारत द्वारा सऊदी अरब के साथ दीर्घकालिक उर्वरक आपूर्ति समझौतों पर हस्ताक्षर
- » शिंकानसेन प्रौद्योगिकी

बॉम्बे हाई कोर्ट ने वैवाहिक कानूनों के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की

संदर्भ

- बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने क्रूरता, अप्राकृतिक यौन संबंध और दहेज उत्पीड़न के एक आपराधिक मामले को रद्द करते हुए कहा कि विवाह एक पवित्र संस्था है और इसे लंबे, निष्फल कानूनी संघर्षों में नहीं बदलना चाहिए।

वैवाहिक कानूनों का दुरुपयोग कैसे हो रहा है?

- भारतीय दंड संहिता की धारा 498A (पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता):** कई बार बिना ठोस साक्ष्य के कई पारिवारिक सदस्यों, यहां तक कि दूर के रिश्तेदारों को भी फंसा दिया जाता है।
- भारतीय दंड संहिता की धारा 377 (अप्राकृतिक अपराध):** वैवाहिक विवादों में दबाव बनाने के लिए रणनीतिक रूप से प्रयोग की जाती है।
- दहेज निषेध अधिनियम, 1961:** दहेज एक गंभीर समस्या है, लेकिन तलाक या संपत्ति विवाद में लाभ पाने के लिए झूठे आरोप लगाए जाते हैं।
- घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005:** मानसिक और शारीरिक क्रूरता के बढ़ा-चढ़ाकर या झूठे दावे किए जाते हैं।

कानूनों के दुरुपयोग को उजागर करने वाली समितियाँ

- मालिमथ समिति (2003):** आपराधिक न्याय सुधार पर रिपोर्ट में धारा 498A को जमानती और समझौता योग्य बनाने की सिफारिश की गई।
- भारत के विधि आयोग की 243वाँ रिपोर्ट (2012):** दुरुपयोग को स्वीकार किया गया लेकिन महिलाओं की सुरक्षा को कमजोर न करने की चेतावनी दी गई। संतुलित सुरक्षा उपायों की सिफारिश की गई।
- राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW):** वास्तविक मामलों में सख्त कार्रवाई का समर्थन करते हुए, दुरुपयोग को स्वीकार किया और गिरफ्तारी से पहले बेहतर जांच का समर्थन किया।

वैवाहिक कानूनों के दुरुपयोग के परिणाम

- मनोवैज्ञानिक आधात और उत्पीड़न:** निर्दोष पारिवारिक सदस्य अत्यधिक मानसिक तनाव का सामना करते हैं। झूठे आरोप भी सामाजिक कलंक छोड़ जाते हैं।
- कानूनी प्रणाली पर भार :** झूठे या तुच्छ मामले पुलिस और अदालतों को अधिभारित करते हैं, जिससे वास्तविक पीड़ितों को न्याय मिलने में देरी होती है।
- विवाह संस्था का क्षरण:** बार-बार दुरुपयोग से विवाह एक युद्धभूमि बन सकता है, जिससे लोग विवाह करने या विवाद सुलझाने से हिचकिचाते हैं।
- मौलिक अधिकारों का उल्लंघन:** अनुचित गिरफ्तारी और लंबे मुकदमे संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को प्रभावित करते हैं।

महत्वपूर्ण न्यायिक टिप्पणियाँ और उदाहरण

- गियान सिंह बनाम पंजाब राज्य, 2012:** सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि पक्षकार समझौता कर लें तो न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर सकते हैं।
- नरिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य, 2014:** यदि अपराध व्यक्तिगत प्रकृति के हों और सार्वजनिक हित को प्रभावित न करते हों तो कार्यवाही रद्द करने के सिद्धांत तय किए।
- अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य, 2014:** सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 498A के अंतर्गत स्वतः गिरफ्तारी पर रोक लगाई और प्रक्रिया संबंधी सुरक्षा उपायों का पालन करने को कहा।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- गृह मंत्रालय की सलाह (2015):** राज्य पुलिस को प्रारंभिक जांच के बिना स्वतः गिरफ्तारी से बचने का निर्देश दिया।
- दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन (2023):** वैवाहिक मामलों में गिरफ्तारी के लिए सख्त मानदंड तय किए गए।
- पारिवारिक परामर्श केंद्र और मध्यस्थता प्रकोष्ठ:** जिला न्यायालय में सुलह को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित किए गए।

- तेज न्यायिक प्रक्रिया:** विशेष पारिवारिक न्यायालयों को संवेदनशील मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए सशक्त किया गया।

आगे की राह

- संतुलित कानूनी सुधार:** कुछ धाराओं (जैसे 498A) को न्यायालय की अनुमति से समझौता योग्य बनाया जाए और जहां उचित हो वहां लिंग-निरपेक्ष प्रावधान सुनिश्चित किए जाएं।
- एफआईआर से पहले मध्यस्थता:** वैवाहिक विवादों में आपराधिक मामले दर्ज करने से पहले अनिवार्य ठहराव अवधि और मध्यस्थता लागू की जाए।
- न्यायिक संवेदनशीलता:** न्यायाधीशों को वास्तविक और दुर्भावनापूर्ण मामलों में अंतर करने के लिए निरंतर प्रशिक्षण दिया जाए।
- झूठी शिकायतों पर दंड:** जहां उचित हो वहां IPC की धारा 211 (झूठा आरोप) के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान लागू किया जाए।
- कानूनी सहायता और जागरूकता को मजबूत करें:** कानूनी साक्षरता अभियान पुरुषों और महिलाओं दोनों को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों की जानकारी दें।

Source: TH

भारत में दहेज हत्याएँ: विस्तृत जाँच, दुर्लभ दोषसिद्धि

संदर्भ

- कई दशकों की विधायी पहल और सामाजिक आंदोलनों के बावजूद, दहेज आज भी विशेष रूप से नवविवाहित महिलाओं की जान ले रहा है।

दहेज के बारे में

- दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के अनुसार, 'कोई भी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा जो विवाह में किसी पक्ष को, दूसरे पक्ष, उसके माता-पिता या किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी जाती है या देने का वादा किया जाता है, उसे दहेज कहा जाता है।'

- दहेज से जुड़ी हिंसा और मृत्यु गहरे आधार के साथ पितृसत्तात्मक सोच की निशानी हैं और भारत में लिंग आधारित अपराधों के सबसे स्थायी रूपों में से एक हैं।
- कई मामलों में महिलाएं मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का शिकार होती हैं, जो आत्महत्या या हत्या में बदल जाता है — अक्सर जलाकर, ज़हर देकर या फांसी लगाकर।

भारत में दहेज मृत्यु: वर्तमान आंकड़े

- अधिक भार वाले राज्य:** NCRB के 2022 के आंकड़ों के अनुसार, भारत में 6,450 दहेज मृत्युएँ दर्ज की गईं।
 - उत्तर प्रदेश (सबसे अधिक), बिहार, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और हरियाणा ने मिलकर कुल मामलों का 80% योगदान दिया।

Dowry Deaths in India NCRB 2022 Snapshot

National Overview



Total Dowry Deaths 6,450 cases



Daily Average: ~18 women die every day due to dowry-related violence



Cases under Dowry Prohibition Act
13,479 registered

Top 5 States by Dowry Deaths



Uttar Pradesh 2,218

Bihar 1,057

Madhya Pradesh 518

West Bengal 472

Rajasthan 320+

Judicial Outcomes



359 cases closed due to insufficient evidence



4,148 cases charge-sheeted



Conviction rate: 30% (approximate)

- NCW के 2024 के शिकायत आंकड़ों के अनुसार:** दहेज उत्पीड़न के 4,383 मामले (कुल शिकायतों का 17%); दहेज मृत्यु के 292 मामलों।
 - पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बिहार में 60% से अधिक दहेज हत्याएँ हुईं।

- अधिकतम मामले वाले शहर: दिल्ली अकेले भारत के 19 प्रमुख शहरों में से 30% दहेज मृत्यु मामलों के लिए जिम्मेदार है।
 - अन्य उच्च रिपोर्टिंग वाले शहरों में कानपुर, बैंगलुरु, लखनऊ और पटना शामिल हैं।

दहेज मृत्यु के पीछे कारण

- सांस्कृतिक स्वीकृति:** दहेज को अब भी एक पारंपरिक अनिवार्यता माना जाता है, विशेष रूप से अर्मेंज मैरिज में।
- आर्थिक शोषण:** दहेज को प्रायः वर पक्ष की आर्थिक स्थिति या सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है।
- लिंग असमानता:** महिलाओं को आर्थिक भार समझा जाता है, जिससे जबरन मांगें और हिंसा होती है।
- लिंग अनुपात असंतुलन:** जिन जिलों में लिंग अनुपात असंतुलित है, वहां दहेज मृत्यु दर अधिक है।
- अशिक्षा और जागरूकता की कमी:** कई महिलाएं अपने कानूनी अधिकारों से अनभिज्ञ होती हैं या प्रतिशोध के भय से चुप रहती हैं।
- न्याय में देरी:** जांच धीमी होती है, और सज्जा दुर्लभ, जिससे अपराधियों को हौसला मिलता है।
- जाति और रिश्तेदारी संरचना:** हाइपरगैमी और पितृविलासिता दहेज दबाव को बढ़ाते हैं।

मुख्य चिंताएं और समस्याएं

- पुलिसिंग और जांच:** प्रत्येक वर्ष दर्ज 7,000 मामलों में से केवल 4,500 मामलों में चार्जशीट दाखिल होती है।
 - कई मामले ‘पर्याप्त साक्ष्य नहीं’, ‘झूठी शिकायत’ या ‘गलतफहमी’ के आधार पर बंद कर दिए जाते हैं।
 - 2022 के अंत तक, 67% लंबित दहेज मृत्यु जांच छह महीने से अधिक समय से रुकी हुई थीं।
- चार्ज और ट्रायल में देरी:** 2022 में 70% चार्जशीट दो महीने या उससे अधिक समय बाद दाखिल की गई।
 - प्रत्येक वर्ष शुरू किए गए 6,500 ट्रायल में से केवल लगभग 100 में सज्जा हुई।

- 90% से अधिक मामले अदालतों में लंबित हैं।
- बड़ी होना, समझौते और शिकायत वापस लेना बड़ी संख्या में मामलों को अधर में छोड़ देता है।

मुख्य कानूनी प्रावधान

- दहेज निषेध अधिनियम, 1961:** दहेज देने या लेने को अपराध घोषित करता है।
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113B (अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023):** यदि विवाह के 7 वर्षों के अंदर और उत्पीड़न के बाद मृत्यु होती है, तो उसे दहेज मृत्यु माना जाता है।
- भारतीय न्याय संहिता की धारा 80 (पूर्व में IPC की धारा 304B):** दहेज मृत्यु को परिभाषित करता है और 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सज्जा का प्रावधान करता है।
- भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 (पूर्व में IPC की धारा 498A):** विवाहित महिलाओं के विरुद्ध क्रूरता को दंडित करता है।

न्यायिक हस्तक्षेप: प्रमुख निर्णय

- संजय कुमार जैन बनाम दिल्ली राज्य (2011):** सर्वोच्च न्यायालय ने दहेज मृत्यु को ‘समाज पर अभिशाप’ बताया।
- हरियाणा राज्य बनाम सतबीर सिंह (2021):** क्रूरता की परिभाषा को अप्रत्यक्ष साक्ष्य तक विस्तारित किया।
- राजेश शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2017):** धारा 498A के दुरुपयोग को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय लागू किए।

आगे की राह

- फॉरेंसिक और जांच प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करें।
- दहेज मामलों के लिए फास्ट-ट्रैक न्यायालय स्थापित करें।
- कानूनी साक्षरता और सामुदायिक निगरानी को बढ़ावा दें।
- महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण और शिक्षा को प्रोत्साहित करें।

- पीड़ित सुरक्षा तंत्र और व्हिसलब्लोअर सुरक्षा को समर्थन दें।

Source: TH

राज्यपालों की नियुक्ति

समाचार में


- कविंदर गुप्ता (पूर्व उपमुख्यमंत्री, जम्मू और कश्मीर) को लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। उन्होंने ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) बी.डी. मिश्रा का स्थान लिया है।

अन्य संबंधित नियुक्तियाँ

- पुसपति अशोक गजपति राजू, वरिष्ठ टीडीपी नेता और पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री, को गोवा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। उन्होंने पी.एस. श्रीधरन पिल्लै का स्थान लिया।
- असीम कुमार घोष, पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ भाजपा नेता, को हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। उन्होंने बंडारू दत्तत्रेय का स्थान लिया।

राज्यपाल : नियुक्ति और पात्रता

- राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच सेतु का कार्य करता है।
- अनुच्छेद 153: प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा; एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।



- अनुच्छेद 155: राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर और मुहर के तहत की जाती है।

- अनुच्छेद 156: राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद पर रहते हैं, हालांकि सामान्यतः उनका कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है।
- पात्रता (अनुच्छेद 157 और 158):
 - भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है।
 - आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए।
 - संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए।
 - कोई अन्य लाभ का पद नहीं धारण करना चाहिए।

शक्ति और कार्य

- कार्यपालिका शक्तियाँ (अनुच्छेद 154)
 - राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती हैं और संविधान के अनुसार प्रयोग की जाती हैं।
 - मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, और उनके परामर्श पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति तथा विभागों का आवंटन करते हैं।
 - राज्य के महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं।
 - अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं।
- विधायी शक्तियाँ
 - राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होते हैं।
 - अनुच्छेद 174: विधानसभा को बुलाने, स्थगित करने या भंग करने की शक्ति।
 - अनुच्छेद 175: सदन को संबोधित करने या संदेश भेजने की शक्ति।
 - अनुच्छेद 176: प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र या आम चुनाव के बाद विशेष अभिभाषण देना अनिवार्य।
 - किसी भी विधेयक को कानून बनने के लिए राज्यपाल की सहमति आवश्यक होती है।
 - वे विधेयक को स्वीकृति दे सकते हैं, रोक सकते हैं, पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं या राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकते हैं।

- ▲ विधानसभा के अवकाश के दौरान, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जिन्हें विधानसभा के पुनः सत्र शुरू होने के छह सप्ताह के अंदर अनुमोदित करना आवश्यक होता है।
- **वित्तीय शक्तियाँ**
 - ▲ राज्य में कोई धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।
 - ▲ वार्षिक और अनुपूरक बजट राज्यपाल के नाम पर प्रस्तुत किए जाते हैं।
 - ▲ राज्यपाल राज्य आकस्मिक निधि का नियंत्रण रखते हैं।
- **न्यायिक शक्तियाँ (अनुच्छेद 161)**
 - ▲ राज्यपाल को क्षमा, दंडविराम, दंडस्थगन, दंडमुक्ति देने या सजा को निलंबित, कम या परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है, बशर्ते वह राज्य की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित कानूनों के अंतर्गत हो।

Source :TH

कॉर्पोरेट निवेश में गिरावट

संदर्भ

- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) की मासिक वृद्धि दर जारी की है, जो घटकर **1.2%** रह गई है — यह विगत नौ माह का सबसे निम्नतर स्तर है।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP)

- यह आर्थिक विकास का एक प्रमुख संकेतक है, जो किसी चुने गए आधार वर्ष के संदर्भ में समय के साथ औद्योगिक उत्पादन के व्यवहार में प्रवृत्ति को मापता है।
 - ▲ यह किसी विशेष वर्ष में उद्योगों के क्षेत्र में भौतिक उत्पादन में विगत वर्ष की तुलना में सापेक्ष परिवर्तन को दर्शाता है।
- **जारीकर्ता:** राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO)
- **मंत्रालय:** सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI)
- **आवृत्ति:** मासिक

- **आधार वर्ष (वर्तमान में):** 2011–12
- **IIP के तीन प्रमुख क्षेत्र:**
 - ▲ निर्माण क्षेत्र – 77.6% भार
 - ▲ खनन क्षेत्र – 14.4% भार
 - ▲ बिजली क्षेत्र – 8.0% भार
- **उपयोग-आधारित वर्गीकरण:**
 - ▲ प्राथमिक वस्तुएं
 - ▲ पूँजीगत वस्तुएं
 - ▲ मध्यवर्ती वस्तुएं
 - ▲ अवसंरचना/निर्माण वस्तुएं
 - ▲ उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं
 - ▲ उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुएं

निवेश में तीव्रता नहीं आने के कारण?

- **मांग की अनिश्चितता:** कोविड-19 महामारी के बाद उपभोक्ता मांग कमजोर रही है, जिससे क्षमता उपयोग कम हुआ है।
 - ▲ निरंतर मांग वृद्धि के स्पष्ट संकेत के बिना कंपनियां नई क्षमताओं में निवेश करने में अनिच्छुक हैं।
- **उद्योग में अतिरिक्त क्षमता:** कई क्षेत्र, विशेष रूप से निर्माण, अभी भी अपनी इष्टतम क्षमता से नीचे काम कर रहे हैं। कंपनियाँ पहले वर्तमान ढांचे का पूरा उपयोग करना चाहती हैं।
- **वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता:** रूस-यूक्रेन युद्ध, रेड सी संकट, वैश्विक मुद्रास्फीति जैसी भू-राजनीतिक घटनाओं ने व्यापार और निवेशकों के विश्वास को प्रभावित किया है।
- **क्रेडिट ट्रांसफरेशन में धीमापन:** कोविड के बाद रेपो दरें कम थीं, लेकिन उद्योग को ऋण वृद्धि हाल तक सुस्त रही।
 - ▲ बैंक जोखिमपूर्ण औद्योगिक ऋण की बजाय खुदरा ऋण (जैसे आवास और ऑटो) को प्राथमिकता दे रहे थे।
- **अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स की बाधाएं:** गति शक्ति और पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान जैसे सुधारों के बावजूद भारत में लॉजिस्टिक्स लागत अभी भी अधिक है।

- ▲ परियोजना अनुमोदन और भूमि अधिग्रहण में देरी से पूंजी निर्माण धीमा होता है।
- **प्रमुख क्षेत्रों में कम FDI:** डिजिटल और सेवा क्षेत्रों में FDI प्रवाह अधिक है, लेकिन निर्माण और अवसंरचना में कमज़ोर है।
 - ▲ उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं के बावजूद विदेशी निवेशक बाजार के आकार, व्यापार करने में सुलभता और निकासी विकल्पों को लेकर सर्वतों हैं।
- **सरकारी पूंजीगत व्यय का विलंबित गुणक प्रभाव:** सार्वजनिक निवेश (विशेष रूप से अवसंरचना में) बढ़ा है, लेकिन निजी निवेश पर इसका प्रभाव अभी पूरी तरह सामने नहीं आया है।
 - ▲ राज्य स्तर पर पूंजीगत व्यय भी राजकोषीय बाधाओं के कारण कमज़ोर रहा है।

उठाए गए नीति उपाय

- **कॉर्पोरेट कर कटौती (2019):** कर दर को 30% से घटाकर 22% किया गया, जिससे निजी क्षेत्र की लाभप्रदता और निवेश को बढ़ावा देने का लक्ष्य था।
- **पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी:** हालिया बजटों में सरकार ने अवसंरचना पर व्यय बढ़ाया है ताकि मांग को प्रोत्साहित किया जा सके और निजी निवेश को आकर्षित किया जा सके।
- **मौद्रिक सहजता:** RBI ने ब्याज दरों में कटौती की ताकि उधारी लागत कम हो और तरलता में सुधार हो।

निष्कर्ष

- भारत में औद्योगिक और निवेश की मंदी मुख्यतः मांग-पक्ष की कमज़ोरी से जुड़ी है, न कि केवल आपूर्ति या वित्तीय बाधाओं से।
- निजी क्षेत्र मांग की स्पष्टता का इंतजार कर रहा है — निवेश मांग की पुनरुद्धार से पहले नहीं हो सकता।
- इसलिए, केवल कर कटौती और ब्याज दरों में बदलाव से आगे बढ़कर, एक समन्वित नीति दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो मौद्रिक और राजकोषीय मांग प्रबंधन पर आधारित हो।

Source: TH

वैज्ञानिकों द्वारा फेरोमोन की खोज, जो टिड़ियों के झुंड का कारण

संदर्भ

- शोधकर्ताओं ने यह दिखाया है कि टिड़ियों द्वारा छोड़े गए फेरोमोन को नियंत्रित करके उन्हें झुंड में इकट्ठा होने या सामूहिक व्यवहार अपनाने से रोका जा सकता है, जिससे फसलें नष्ट होती हैं।

परिचय

- टिड़ियों के झुंड ऐतिहासिक रूप से कृषि को भारी हानि पहुंचाते रहे हैं।
- वे विशाल झुंडों में एकत्र होकर कुछ ही दिनों में हजारों हेक्टेयर फसलें चट कर जाते हैं।
- 2019–2020 में पूर्वी अफ्रीका, पाकिस्तान और भारत में हुआ प्रकोप विगत 25 वर्षों में सबसे गंभीर था।
- पारंपरिक नियंत्रण विधियाँ कृत्रिम कीटनाशकों का उपयोग करती हैं, जो पर्यावरण, मृदा की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा को हानि पहुंचाते हैं।
- इसलिए कीटनाशकों के उपयुक्त, पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों की खोज एक सक्रिय शोध क्षेत्र बन गई है।

टिड़ियाँ

- टिड़ियाँ छोटे सींगों वाली टिड़ी प्रजातियाँ हैं जिनमें अत्यधिक प्रवासी प्रवृत्ति होती है।
- ये अकेले रहने वाले चरण से सामूहिक चरण में बदल सकती हैं, जिसमें वे घने झुंड बनाकर भोजन की खोज में सैकड़ों किलोमीटर तक यात्रा करती हैं।
- भारत में केवल चार प्रजातियाँ पाई जाती हैं:
 - ▲ रेगिस्तानी टिड़ी (Schistocerca gregaria)
 - ▲ प्रवासी टिड़ी (Locusta migratoria)
 - ▲ बॉम्बे टिड़ी (Nomadacris succincta)
 - ▲ वृक्ष टिड़ी (Anacridium sp.)
- इनमें रेगिस्तानी टिड़ी भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण कीट प्रजाति मानी जाती है।
- चिंता का विषय: ये प्राकृतिक और कृषि वनस्पति को बहुत हानि पहुंचाती हैं, जिससे खाद्य और चारे की राष्ट्रीय आपात स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

सामूहिक व्यवहार (Gregariousness Behaviour)

- कई पशु, पक्षी और कीट प्रजातियाँ — जिनमें टिड्डियाँ भी शामिल हैं — एक सामाजिक व्यवहार प्रदर्शित करती हैं जिसे सामूहिकता (gregariousness) कहा जाता है।
 - ▲ यह उन्हें ऐसी सामाजिक संरचना बनाने में सहायता करता है जिसमें बड़ी संख्या में जीव एक साथ मिलकर जीवित रहने के लिए सहयोग करते हैं, प्रतिस्पर्धा नहीं करते।
- वैज्ञानिकों ने 2020 में एक महत्वपूर्ण फेरोमोन की पहचान की जिसे 4-विनायलेनिसोल (4VA) कहा जाता है।
 - ▲ फेरोमोन वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो एक जीव द्वारा सावित किए जाते हैं और उसी प्रजाति के अन्य सदस्यों में सामाजिक प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं।
- जब कोई टिड्डी भोजन करती है, तो वह अपने पिछले पैरों से बड़ी मात्रा में 4VA छोड़ती है।
 - ▲ यह वायु में फैलते ही अन्य टिड्डियों को आकर्षित करता है।
 - ▲ पास की टिड्डियाँ एकत्र होकर एक-दूसरे के पिछले पैरों को रगड़ती हैं, जिससे सेरोटोनिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर का स्राव होता है — और यही झुंड बनने की प्रक्रिया को शुरू करता है।
- नवीन अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया कि यदि टिड्डियाँ 4VA का स्राव न करें, तो झुंड बनना रोका जा सकता है।
 - ▲ इसलिए उन्होंने इसके उत्पादन की प्रक्रिया को समझने पर कार्य शुरू किया।

अध्ययन में प्रस्तावित पाँच-चरणीय नियंत्रण रणनीति

1. कृत्रिम या अन्य 4VA विकल्पों का उपयोग करके टिड्डियों को एक जाल क्षेत्र में आकर्षित करना, जहाँ उन्हें फंगल रोगजनकों या सीमित मात्रा में कीटनाशकों से मारा जा सके।
2. 4VA का छिड़काव करके टिड्डियों के एकत्र होने की प्रक्रिया को बाधित करना।

3. 4VA संकेतों को ट्रैक करके जनसंख्या की गतिशीलता की निगरानी करना।
4. आनुवंशिक रूप से संशोधित टिड्डियों को क्षेत्र में छोड़ना ताकि वे सामूहिक व्यवहार न अपनाएँ।
5. छोटे अणु नियामकों और जैव-कीटनाशकों के संयुक्त उपयोग से एक समग्र रणनीति अपनाना।

Source: TH

संक्षिप्त समाचार

मछलीपट्टनम: एक प्राचीन बंदरगाह का पुनरुद्धार

संदर्भ

- मछलीपट्टनम (मसुलीपट्टनम), एक ऐतिहासिक बंदरगाह नगर, का पुनरुद्धार हो रहा है।

प्राचीन भारत में मछलीपट्टनम

- मछलीपट्टनम (मसुलीपट्टनम) बंगाल की खाड़ी में कृष्णा नदी के मुहाने पर स्थित एक ऐतिहासिक बंदरगाह नगर है।
- प्रारंभिक समुद्री महत्व
 - ▲ इस क्षेत्र को प्राचीन काल में मसुलीपट्टनम या मैसोलेस के नाम से जाना जाता था (जैसा कि पहली शताब्दी ईस्वी के एरिश्त्रियन सागर का पेरिप्लस में उल्लेख है)।
 - ▲ यह कोरोमंडल तट पर एक समृद्ध प्राचीन समुद्री बंदरगाह के रूप में विकसित हुआ।
 - ▲ यह दक्षिण भारत के भीतरी क्षेत्रों के लिए एक प्रवेश द्वार था, जहाँ से रोमन, अरब और दक्षिण-पूर्व एशियाई व्यापारियों के साथ व्यापार होता था।
- सातवाहन काल
 - ▲ सातवाहन शासनकाल (ईसा पूर्व 1वीं शताब्दी से ईस्वी 3वीं शताब्दी) में मसुलीपट्टनम एक जीवंत बंदरगाह के रूप में उभरा।
 - ▲ यहाँ से मसलिन कपड़ा, मसाले, मोती और वस्त्रों का निर्यात होता था।

- यह अमरावती और धारणीकोटा जैसे भीतरी शहरों से जुड़ा था, जो उस समय बौद्ध धर्म और व्यापार के प्रमुख केंद्र थे।
- मध्यकालीन और औपनिवेशिक पुनरुत्थान
 - 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच, यह बंदरगाह गोलकोंडा सल्तनत के अधीन फिर से महत्वपूर्ण बन गया।
 - यह डच, ब्रिटिश और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनियों के लिए एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन गया।
 - हालांकि, 18वीं शताब्दी में मद्रास (चेन्नई) के प्रति व्यापारिक ध्यान केंद्रित हो गया, जिससे मछलीपट्टनम की महत्ता घट गई।

प्राचीन भारत के बंदरगाह शहर

| बंदरगाह शहर | राजवंश/काल |
|----------------------------|---------------------------------|
| लोथल (गुजरात) | सिन्धु धाटी सभ्यता |
| अरीकामेडु (पुडुचेरी) | चोल और प्रारंभिक तमिल साम्राज्य |
| कावेरीपट्टनम (तमिलनाडु) | चोल |
| सोपारा (महाराष्ट्र) | सातवाहन |
| ताप्रलिप्ता (पश्चिम बंगाल) | मौर्य और गुप्त |
| बैरीगांजा (भरुच) | इंडो-यूनानी और कुषाण काल |

Source: TH

बेहदेनखलम महोत्सव

संदर्भ

- पवित्र बेहदेनखलाम उत्सव का आयोजन मेघालय के जोवाई नगर में किया गया।

बेहदेनखलाम उत्सव

- अर्थ: बेहदेनखलाम शब्द का अर्थ है “महामारी को दूर भगाना”, जो हैजा जैसी बीमारियों और अन्य सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने की प्रतीकात्मक प्रक्रिया को दर्शाता है।
- समय: यह उत्सव प्रत्येक वर्ष जुलाई माह में, बुआई के बाद आयोजित होता है।

- इसका उद्देश्य अच्छी फसल की कामना और बीमारियों से सुरक्षा होता है।
- समुदाय: यह उत्सव मुख्य रूप से प्नार समुदाय द्वारा मनाया जाता है, जो जैंतिया जनजाति की एक उप-शाखा है।
- स्वदेशी आस्था का संरक्षण: यह उत्सव नियमत्रे धर्म को संरक्षित रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।

अनुष्ठान और उत्सव

- अनुष्ठान तीन दिनों तक चलते हैं।
- पुरुष पारंपरिक नृत्य और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, जबकि महिलाएं अपने पूर्वजों की आत्माओं को समर्पित बलि भोजन तैयार करती हैं और अर्पित करती हैं, जो एक अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक भूमिका है।
- ‘सिम्बड खनोंग’ (पवित्र लकड़ी का खंभा) को पूरे नगर में धुमाया जाता है और बुरी आत्माओं से सुरक्षा के प्रतीक रूप में स्थापित किया जाता है।
- ‘डैड-लावाकोर’, एक अनोखा फुटबॉल जैसा खेल, मिथोंग में खेला जाता है।
- हाल के वर्षों में इस उत्सव के दौरान नशा विरोध, शराबबंदी और जलवायु परिवर्तन जैसे सामाजिक संदेशों को भी प्रमुखता दी जा रही है।

Source: AIR

प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र

संदर्भ

- भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश में 75वें प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र (PMDK) का उद्घाटन किया जा रहा है।

परिचय

- प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र (PMDK) एक अद्वितीय पहल है जिसका उद्देश्य एक ही छत के नीचे समेकित सेवाएं प्रदान करना है—जैसे कि मूल्यांकन, परामर्श, सहायता उपकरणों का वितरण, और वितरण के बाद देखभाल—जो पात्र दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों को दी जाती हैं।

- इस केंद्र के शुभारंभ के साथ, भारत में कार्यरत PMDK की कुल संख्या 75 हो गई है।

प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र

- यह एक सरकारी पहल है जिसे दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों को समग्र पुनर्वास और सहायक सेवाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है।
- लाभार्थी समूह:**
 - दिव्यांगजन:** वे व्यक्ति जिन्हें दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत पहचाना गया है।
 - वरिष्ठ नागरिक:** विशेष रूप से वे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) से आते हैं और जिन्हें गतिशीलता या संवेदी सहायता की आवश्यकता होती है।
- क्रियान्वयन एजेंसी:** ये केंद्र सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करते हैं और इनका संचालन ALIMCO (आर्टिफिशियल लिम्बस मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) द्वारा किया जाता है, जो एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है।

Source: PIB

कार्यालयों में चीनी और वसा संबंधी बोर्ड लगाने का सरकारी आदेश

संदर्भ

- भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी केंद्रीय और राज्य सरकारी कार्यालयों को निर्देश दिया है कि वे कार्यालय परिसर में बिकने वाले खाद्य पदार्थों में चीनी और वसा की मात्रा को दर्शाने वाले ‘शुगर और फैट बोर्ड’ प्रदर्शित करें।

इस पहल के बारे में

- यह उपाय भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय पोषण संस्थान (ICMR-NIN) द्वारा समर्थित है और इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों और आगंतुकों के बीच स्वस्थ खानपान की आदतों को बढ़ावा देना है। यह

एक व्यवहारिक संकेत के रूप में कार्य करता है, जिससे लोग अपने भोजन विकल्पों को लेकर अधिक जागरूक हो सकें।

अनुशंसित दैनिक सेवन सीमा:

- चीनी: 25 ग्राम
- दृश्य वसा (तेल, घी आदि): 30 ग्राम

इस कदम का महत्व

- भारत में मधुमेह, हृदय रोग जैसे गैर-संचारी रोगों (NCDs) का बोझ तेजी से बढ़ रहा है, जिसका मुख्य कारण अस्वस्थ खानपान, विशेष रूप से अधिक चीनी और वसा का सेवन है।
- यह पहल रोकथाम आधारित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देती है और ट्रांस फैट युक्त खाद्य पदार्थों के व्यापक नियमन की दिशा में पहला कदम हो सकती है।

क्या है ट्रांस फैट?

- ट्रांस फैट (या ट्रांस-फैटी एसिड)** एक प्रकार का असंतृप्त वसा है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है।
- LDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है:** ट्रांस फैट रक्त में “खराब” LDL कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ा सकता है, जिससे धमनियों में प्लाक जमने और हृदय रोग का खतरा बढ़ता है।
- HDL कोलेस्ट्रॉल घटाता है:** यह “अच्छे” HDL कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, जो शरीर से LDL को हटाने में सहायता करता है।
- ट्रांस फैट के प्रकार**
 - प्राकृतिक ट्रांस फैट:** यह गाय, भेड़, बकरी जैसे जुगाली करने वाले जानवरों के मांस और दुग्ध उत्पादों में थोड़ी मात्रा में पाया जाता है।
 - कृत्रिम (औद्योगिक) ट्रांस फैट:** यह हाइड्रोजनेशन नामक प्रक्रिया द्वारा तरल तेलों में हाइड्रोजन मिलाकर उन्हें ठोस रूप में बदलने से बनता है।
- यह बनस्पति (हाइड्रोजनीकृत तेल), बेकरी उत्पादों (केक, बिस्कुट), तले हुए खाद्य पदार्थ (समोसे, पकोड़े),

पुनः उपयोग किए गए तेल में पकाए गए स्ट्रीट फूड में पाया जाता है।

Source: TH

राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA)

समाचार में

- राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने मधुमेह और कैंसर के उपचार में प्रयुक्त 71 दवाओं की कीमतें तय की हैं।

राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) के बारे में

- यह एक स्वतंत्र सरकारी नियामक एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1997 में रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत औषधि विभाग द्वारा की गई थी।
- इसका मुख्य उद्देश्य भारत में औषधियों और औषधीय उत्पादों की कीमतों को तय करना, संशोधित करना और निगरानी करना है, ताकि दवाएं हर नागरिक के लिए सुलभ और किफायती बनी रहें।
- NPPA ने इन दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश (DPCO), 2013 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का उपयोग किया है।

Source: IE

ऑस्ट्रेलिया ने 2025 मैत्री अनुदान की घोषणा की

समाचार में

- ऑस्ट्रेलिया और भारत 2025 मैत्री अनुदान, फैलोशिप और छात्रवृत्तियों के माध्यम से अपनी साझेदारी को और गहरा कर रहे हैं।

मैत्री अनुदान के बारे में

- मैत्री (अर्थ: मित्रता) अनुदान कार्यक्रम का संचालन ऑस्ट्रेलिया-भारत संबंध केंद्र (Centre for Australia-India Relations) द्वारा किया जाता है।

- इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी, व्यापार, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्रों में भारत के साथ अधिक सहयोग और आदान-प्रदान को बढ़ावा देना है।
- प्रमुख पहलें
 - लोकी संस्थान में ‘इंडिया चेयर’ की स्थापना, जो भारत की भूमिका पर उच्च गुणवत्ता वाला शोध और संवाद को बढ़ावा देगा।
 - एशियालिंक बिज़नेस द्वारा क्लीनटेक और एग्टेक साझेदारी के लिए सर्वोत्तम अभ्यास पुस्तिकाएँ (playbooks) तैयार करना।
 - राजा रवि वर्मा की दुर्लभ कलाकृतियों की एक प्रमुख प्रदर्शनी का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में।
 - बोधिनी स्टूडियोज द्वारा संचालित एक स्टोरीटेलिंग इनक्यूबेटर, जो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण एशियाई प्रवासी समुदाय की कहानियों को वैश्विक मंच पर लाने का कार्य करेगा।
- 2024–2025 की निधि योजना
 - 13 शोध छात्रवृत्तियाँ: क्वांटम कंप्यूटिंग, स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत निर्माण और महत्वपूर्ण खनिज नीति जैसे क्षेत्रों में मास्टर्स या पीएचडी अनुसंधान के लिए।
 - 3 फैलोशिप: बायोमैन्युफैक्चरिंग, समुद्री सहयोग और डिजिटल गवर्नेंस जैसे द्विपक्षीय अवसरों की खोज के लिए।

Source :IE

मंडोवी नदी में रोल ऑन-रोल ऑफ (रोरो) फेरी बोट्स

समाचार में

- गोवा सरकार ने मंडोवी नदी के चोराओ-रिंबंदर मार्ग पर दो उन्नत रोल ऑन-रोल ऑफ (RoRo) फेरी — ‘गंगोत्री’ और ‘द्वारका’ — शुरू की हैं।

मंडोवी नदी

- यह गोवा राज्य की प्रमुख पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में से एक है।
- इसका उद्दम कर्नाटक राज्य के जांबोटी घाटों में होता है।

- यह नदी 62 किलोमीटर की दूरी तय कर अब सागर में पिरती है।
- मंडोवी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं: सरंग, महैनाडा, उडेल, लोही, वेलवोटा, बिचोलिम, मापुसे, नानोडा और खांडेपर।

रोल ऑन-रोल ऑफ (RoRo) फेरी नौकाएँ

- RoRo परियोजनाएँ** ऐसी जहाजों/नौकाओं पर आधारित होती हैं जो पहियों वाले माल जैसे कार, ट्रक, ट्रेलर आदि को सीधे जहाज पर चढ़ाने और उतारने की सुविधा देती हैं।
- इसमें जेटी, पोर्ट टर्मिनल और संपर्क अवसंरचना भी शामिल होती है।
- ‘गंगोत्री’ और ‘द्वारका’ नामक RoRo फेरी विजय मरीन शिपयार्ड्स द्वारा बिल्ट-ऑन-ऑपरेट-ट्रांसफर (BOOT) मॉडल पर निर्मित की गई हैं।
- यह भारत की प्रथम RoRo फेरी सेवा है, जिसका उद्देश्य जल परिवहन को बेहतर बनाना है।

क्षमता और विशेषताएँ

- प्रत्येक फेरी में 100 यात्री, 15 चार-पहिया वाहन, और 30–40 दो-पहिया वाहन ले जाने की क्षमता है।
- यात्रा का समय 30 मिनट से घटकर 12–13 मिनट हो गया है।
- ये फेरी तेज़ गति, आधुनिक तकनीक, वातानुकूलित यात्री कक्ष, और आपातकालीन चिकित्सा किट जैसी सुविधाओं से लैस हैं।
- भविष्य में इस सेवा को अन्य मार्गों पर विस्तार देने की योजना है।

Source :IE

भारत द्वारा सऊदी अरब के साथ दीर्घकालिक उर्वरक आपूर्ति समझौतों पर हस्ताक्षर

प्रसंग

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री ने सऊदी अरब की तीन दिवसीय यात्रा पूरी की।

मुख्य निष्कर्ष

- सऊदी अरब की कंपनी माडेन और भारत की कंपनियाँ IPL, कृष्णा, CIL के मध्य दीर्घकालिक आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर हुए।
- 2025–26 से प्रति वर्ष 3.1 मिलियन मीट्रिक टन DAP की आपूर्ति होगी, जो 2024–25 में 1.9 मिलियन मीट्रिक टन थी।
- ये समझौते 5 वर्षों के लिए वैध होंगे, और आपसी सहमति से 5 वर्षों के लिए बढ़ाए जा सकते हैं।
- 2024–25 में भारत ने सऊदी अरब से DAP आयात में 17% की वृद्धि दर्ज की (1.9 MT बनाम 2023–24 में 1.6 MT)।
- महत्व: ये दीर्घकालिक उर्वरक समझौते भारत के कृषि क्षेत्र को आपूर्ति सुरक्षा प्रदान करेंगे और भारत-सऊदी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करेंगे।

DAP क्या है?

- डाय-अमोनियम फॉस्फेट (DAP)** एक प्रकार का उर्वरक है जिसमें फॉस्फोरस और नाइट्रोजन होते हैं — ये दोनों पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं।
- नैनो DAP में DAP के नैनो कण होते हैं, जो बेहतर फसल वृद्धि और उत्पादन में सहायता करते हैं।
- DAP का उपयोग कृषि में तेजी से और आसानी से उपलब्ध पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए किया जाता है।
- यह भारत में यूरिया के बाद दूसरा सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला उर्वरक है।

Source: AIR

शिंकानसेन प्रौद्योगिकी

समाचार में

- भारत विश्व के पहले देशों में शामिल होगा जहाँ आगामी पीढ़ी की E10 शिंकानसेन बुलेट ट्रेनें शुरू की जाएँगी।

E10 शिंकानसेन के बारे में

- इसे अल्फा-X के नाम से भी जाना जाता है।

- यह ट्रेन 400 किमी/घंटा तक की गति प्राप्त कर सकती है, जो वर्तमान E5 मॉडल (320 किमी/घंटा) की तुलना में गति, सुरक्षा, ऊर्जा दक्षता और यात्री सुविधा में उल्लेखनीय सुधार प्रदान करती है।
- E10 श्रृंखला जापान में E2 और E5 बेड़े की जगह लेगी और भारत में हाई-स्पीड रेल तकनीक में एक बड़ा कदम साबित होगी।
- यह ट्रेन ऑटोमैटिक ट्रेन कंट्रोल (ATC) प्रणाली से लैस होगी, जिससे ट्रैकसाइड सिग्नलों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और अब तक शिंकान्सेन का सुरक्षा रिकॉर्ड शत-प्रतिशत रहा है।

Source: HT

